राज्य सूचना आयोग
बिहार, पटना

के0 संख्या– 72 / 06–07

विषयः– डॉ0 भूपेन्द्र कुमार मिश्रा, ग्राम+पोस्ट–शिवगंज, जिला–आरा का प्राप्त आवेदन–पत्र।

20.11.2006 आवेदक को दिनांक 07.12.2006 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में पूर्ण तथ्यों एवं कागजातों सहित सुनवाई हेतु बुलावें।

(पी0एन0 नारायणन) राज्य सूचना आयुक्त | (मो0 शकील अहमद) राज्य सूचना आयुक्त | (न्या0 शशांक कुमार सिंह) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

04.01.2007 आवेदक उपस्थित थे। इनके आवेदन पत्र की प्रतिलिपि संलग्न कर श्री अनिल कुमार, सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर (सिविल कोर्ट के पास) आरा से दिनांक 20.01.07 तक कंडिकावार मंतव्य की मांग की जाय एवं सुनवाई हेतु दिनांक 25.01.07 को प्रातः 10.30 बजे रखी जाय।

(मो0 शकील अहमद) राज्य सूचना आयुक्त | (न्या0 शशांक कुमार सिंह) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

25.01.2007 अपीलकर्त्ता आवेदक उपस्थित हैं। जिला पदाधिकारी, आरा से जवाब प्राप्त है। जिलापदाधिकारी का कहना हैं कि जिस पत्र के बारे में सूचना मांगी गई है वह आरक्षी अधीक्षक, आरा से संबंधित हैं तथा आवेदक को आरक्षी अधीक्षक, आरा के समक्ष आवेदन देना चाहिए था। सूचना का अधिकार के अधिनियम के अनुसार सभी लोक सूचना पदाधिकारियों का दायित्व है कि वे मांगी गई सूचनाएं जो अन्य लोक सूचना पदाधिकारियो से संबंधित है, उसे संबंधित लोक सूचना पदाधिकारियों को भेज दें तथा आवेदक को सूचित कर दें। अधिनियम के इस प्रावधान को कारण दिखाते हुए जिला पदाधिकारी, आरा को निदेशित किया जाता है कि वे आवेदक के आवेदन पत्र को आरक्षी अधीक्षक, भोजपुर (आरा) को भेज दें तथा आरक्षी अधीक्षक, आरा को निदेश दिया जाता है कि आवेदन पत्र के प्राप्ति के पश्चात् अधिनियम के प्रावधानित सीमा के अन्तर्गत आवेदन का विधिवत् निष्पादन करें। चूंकि, अधिनियम के प्रावधानित अवधि बीत गयी है इसलिए जिलाधिकारी एवं आरक्षी अधीक्षक भोजपुर आरा को निदेशित किया जाता है की अधिनियम में उपस्थित प्रावधानों के अनुसार आवेदन पत्र का निष्पादन 19 फरवरी, 2007 तक किया जाए। इस वाद को निस्तारित किया जाता है।

(पी0एन0 नारायणन) राज्य सूचना आयुक्त | (मो0 शकील अहमद) राज्य सूचना आयुक्त | (न्या0 शशांक कुमार सिंह) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त